

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No.2023/O&M/12/4/AVRSP-2024

Dated: 14.08.2024

General Managers, All Indian Railways/PUs DG/NAIR & DG/RDSO CAO/PLW, Patiala, CAO/WPO, Patna & CAO/RWP, Bela

Sub: Calling of e-self nominations through HRMS Award Module for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP) -2024 (For Railways/PUs & Other Units)

Every year, Railway Week is celebrated from 10<sup>th</sup> to 16<sup>th</sup> April. During the Central Function, Awards are presented by Hon'ble Minister of Railways to selected officers/staff for their exemplary, outstanding and meritorious performance.

- 2. The entire award eco-system conferred by Ministry of Railways (Railway Board) was revised and the revised norms were circulated to All Indian Railways/PUs/Other Units vide Board's Letter No. 2023/O&M/12/4 dated 11.04.2023. On the revised norms, it has been decided to call e-self nomination for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP) 2024 at Ministry of Railways level through HRMS Award module from Railway Officers/Staff. The salient features for **AVRSP-2024** are as under:
  - a) Name of Award: 'Ati Vishisht Rail Seva Puraskar-2024' 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2024'
  - b) Number of awardees restricted to maximum 100 numbers.
  - c) No Cash component except in posthumous cases, which would be ₹50,000/- per case.
  - d) Silver Medal & Merit Certificate will be presented to the awardees.
  - e) Zone/PU-wise quota has been worked out based on man-on-roll. Accordingly, quota of nominations for अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार to be forwarded to Board's Office by various Zonal/PUs/Other Units shall be as under:

Rlys	Quota	Rlys	Quota	Rlys	Quota	Rlys	Quota	Rlys	Quota
CR	24	NER	12	SER	20	CLW	2 .	RCF	2
ER	26.	NFR	14	SECR	12	BLW	2	MCF	1
ECR	21	NFR(C)	1	SWR	9	PLW	1	CORE	1
ECoR	12	NWR	12	WR	23	RWP	1	RDSO	1
NR	33	SR	20	WCR	14	RWF	1	NAIR	1
NCR	16	SCR	20	METRO	1	ICF	2	WPO	1

- Accordingly, e-self nominations of Officers/Staff of ZRs/PUs/Other Units may be forwarded 3. through HRMS Award Module to Railway Board in format as per Annexure-II with the approval of GM concerned (as per the railway-wise quota mentioned above). The guidelines for sending e-self nomination through HRMS Award Module for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP), 2024 attached as Annexure-I. Details regarding the schedule, venue, and other specifics of the presentation ceremony will be communicated separately.
- The receipt of this letter may be acknowledged through E-mail and Name, Designation, 4. Telephone (P&T and CUG) and E-mail ID of coordinating officer of the Railway for the अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार be intimated to US/O&M, Railway Board at neenakandpal.rb@gov.in
- Last date for forwarding of e-self nominations through HRMS Award Module to Railway Board is 14.09.2024.
- This notification for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP)-2024 may be circulated to all offices under each ZRs/PUs/Other Units for wide publicity to ensure that the information reaches all railway employees, including those in remote areas.
- internet link through the 7. **HRMS** Award Module may be accessed (https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/login).

Encl:-2

(Aruna Nayar)

Secretary/Railway Board Tele No.:011-23385227

Email ID: secyrb@rb.railnet.gov.in Room No. 227, 2nd Floor, Railway Board

Guidelines for sending e-self nominations through HRMS Award Module for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP), 2024 (For Railways/PUs & Other Units)

1. Category under which e-self nomination to be sent:-

	Category
I	New Innovations/processes/procedures leading to economies in expenditure,
	improvement in productivity, import substitution etc.
II	Meritorious acts even in disregard to personal safety leading to protection of life
	and property on Railways
m	Special efforts made to increase earnings and to tackle ticketless travel, thefts, etc.
***	Exemplary work done to improve operations, security and safety, better
IV	maintenance and utilization of assets
. <b>V</b>	Completion of projects etc. in record time
	Outstanding performance in the field of sports, leading to national/international
VI	recognition
VII	Outstanding performance in any other field

Note: Nomination of official/staff may be restricted to any one of above seven categories.

- 2. E-self nominations for the **Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP)** should be submitted via HRMS Award Module. When filling the form, it should be ensured that information related to Name, Zone, Unit, and Designation is accurately provided in Hindi also. The form must include details regarding employees' current post and maximum up to the last five posts held. The applicant must also fill the details (HRMS ID/Name) of his/her controlling officer in the relevant field. The applicant is also required to fill his/her active E-mail ID.
- 3. Before filling e-self nomination through HRMS Award Module, applicants are advised to go through the **User Manual** available at HRMS Award Module dashboard.
- 4. A citation or write-up of up to 1000 characters, specific to the category under which the nomination is being made, must be entered in the designated section of the e-form within HRMS Award Module. Nominations are to be made for the work done up to the 31st December 2023. The citation should indicate the exceptional points with respect to category for which nomination is being made.
- 5. It is advised that officers/staff working in the field and have done exceptional work may submit e-self nomination through HRMS Award Module. Officers/Staff working in Offices may also submit e-self nomination provided they have done exceptional work in real sense, so that, only truly deserving employees meriting recognition at the National level may only be selected for the Award.
- 6. Group 'C' and erstwhile Group 'D' categories of Railway staff may normally submit e-self nomination. In exceptional cases, Officers upto JA Grade/Selection Grade, who have done exemplary work, may also submit their e-self nomination. However, officers above the Selection Grade may not submit e-self nomination as scheme does not cover officers above the level of Selection Grade. However, Selection Grade officers in non-functional SAG are also eligible provided they remain in SG till 16<sup>th</sup> April, 2024.
- 7. No recommendation for <u>Group Award</u> be sent as Group Awards are neither considered nor given during the Central Function/Ati Vishisht Rail Seva Puraskar (AVRSP) Presentation.

- 8. Ati Vishisht Rail Seva Puraskar is a life time award, as such those officers/staff who have received the award (Railway Week National Award/National Railways Award/AVRSP) once in the past, should normally not submit e-self nomination again except in case where some exemplary commendable performance has been shown by them. An undertaking must be filled by the employee in the e-form confirming whether he/she had previously received or been selected for the MR Award, National Railways Award, or AVRSP.
- 9. In the forwarding letter from Railway, a summary sheet, as per Annexure-II, indicating name, designation, deptt., category, pay level, mobile number and email-id may invariably be attached and be clearly indicated that no D&AR and/or Vigilance case(s) is/are pending against the concerned employee. Details for each nominee are indicated separately. It is also clarified that if there is any change in the Vigilance/D&AR status of the nominee in the intervening period between the date of sending nominations to the Board and the date of award, the same may also be intimated to this office. If no report is received in this regard during the intervening period, it will be presumed that the status indicated earlier remains same.
- 10. No abbreviations should be used and no column be left blank while filling in the e-self nomination form by employees on HRMS.
- 11. Contact Details viz. Mobile number of the concerned employee(nominee) and his/her next immediate higher official should invariably be indicated in the Annexure-II so that the employee may be contacted/informed in case his/her name is selected for award or in case any information is required in connection with processing of award.
- 12. <u>Maximum number of nominations is to be forwarded within the quota fixed for different ZRs/PUs/Other Units as mentioned in the letter.</u>
- 13. The details regarding <u>forwarding of e-self nominations by ZRs/PUs/Other Units</u> through HRMS Award Module are provided in the **User Manual** (available at HRMS Award Module dashboard). Only e-self nominations have to be forwarded to Board's office, **no hard copy of nominations is to be sent**.
- 14. If any details like name, photo, zone, designation, etc. of the employee on HRMS portal are not correct/up to date, the employee needs to get it corrected in his Employee Master by raising a request through Employee Self Service (ESS) module.
- 15. Detailed guidelines for users and admins for AVRSP, VRSP and RSP are issued vide Railway Board's Letter No. PC-VII/2024/HRMS/7 dt. 31.07.2024.
- 16. Last date for forwarding e-self nominations through HRMS Award Module in Board's Office is 14.09.2024.

\*\*\*\*

## List of Nominations for Ati Vishisht Rail Seva Puraskar(AVRSP), 2024

			Or			
Nam	e of the Director	rate/Unit in Ra	ilway Board	-		·
Total	Number of No	minations:				
Detai	lls of Nominee:		•			
S.No.	Name (Shri/Smt/Ms.)	Desig/Deptt.	Category under which nominated (As per item No 1 of Annexure-I	Pay Level	DOB	Mobile No. & email (Nominee & Immediate Senior)
No D	AR and Vigilan	ce case is pend	ing against the	above off	icial.	•
						· .
			Signature of t	the Approv	ving Autl	nority
			Name			

## भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2023/ओएंडएम/12/4/एवीआरएसपी-2024

दिनांक:- 14.08.2024

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।
महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी और महानिदेशक आर.डी.एस.ओ.
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पटियाला रेल इंजन कारखाना,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना परियोजना संगठन, पटना एवं
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना, बेला

विषय: अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2024 के लिए एचआरएमएस अवार्ड मॉडयूल के माध्यम से ई-स्व नामांकन (ई-सेल्फ नामिनेशन) आमंत्रित करना (रेलों/उत्पादन इकाइयों एवं अन्य इकाइयों के लिए)।

प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। इस मुख्य समारोह के दौरान चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके अनुकरणीय, उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

- 2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा संपूर्ण पुरस्कार परितंत्र पर विचार-विमर्श किए जाने के पश्चात् संशोधित किया गया था तथा रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.04.2023 के पत्र सं./नोट सं. 2023/ओएंडएम/12/4 के तहत संशोधित मानदंड सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/अन्य इकाइयों/रेलवे बोर्ड को परिपत्रित किए गए थे। संशोधित मानदंडों के आधार पर रेल मंत्रालय स्तर पर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी) 2024 प्रदान करने के लिए रेलवे के अधिकारियों/कर्मचारियों से एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल द्वारा ई स्व-नामांकन (ई-सेल्फ नॉमिनेशन) आमंत्रित करने का विनिश्चय किया गया है। एवीआरएसपी 2024 की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:
  - क) पुरस्कार का नामः 'अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2024'
- ख) प्रस्कार विजेताओं की संख्या : अधिकतम 100 तक सीमित।
- ग) मरणोपरांत मामलों के अतिरिक्त, जो 50,000 रुपए प्रति मामला होगा,कोई नकद पुरस्कार राशि नहीं होगी।
- घ) पुरस्कार विजेताओं को रजत पदक तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ङ) कर्मचारियों की संख्या के आधार पर क्षेत्रीय/उत्पादन इकाईवार कोटा निर्धारित किया गया है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए विभिन्न क्षेत्रीय/उत्पादन इकाइयों/अन्य इकाइयों द्वारा अग्रेषित किए जाने वाला नामांकन कोटा निम्नानसार होगाः

रेलवे	कोटा	रेलवे	कोटा	रेलवे	कोटा	रेलवे	कोटा	रेलवे	कोटा
म.रे.	24	पूर्वोत्तर.रे.	12	द.पू.रे.	20	चिरेका	2	रेडिका	2
पू.रे.	26	पू.सी.रेलवे	14	द.पू.म.रे	12	बीएलडब्ल्यू	2	आ.रे.डि.का.	1
प्.म.रे.	21	पू.सी.रेलवे (निर्माण)	1	द.प.रे.	9	प.रे.का.	1	कोर	1
पू.त.रे.	12	उ.प.रे.	12	प.रे.	23	रे.प.का.पटियाला	1	आरडीएसओ	1
उ.रे.	33	द.रे.	20	प.म.रे.	14	रे.प.का.बैंगलुरू	1	भा.रे.रा.अकादमी	1
उ.म.रे.	16	द.म.रे.	20	मेट्रो	1	सडिका	2	कार्यशाला	1
								परियोजना	
								संगठन	

- 3. तदनुसार, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/अन्य इकाइयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के ई-स्व नामांकन (ई-सेल्फ नॉमिनेशन) संबंधित महाप्रबंधक के अनुमोदन के साथ (उपरोक्त उल्लिखित रेलवे-वार कोटा के अनुसार) अनुलग्नक-॥ में दिए गए प्रारूप के अनुसार रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किए जाएं। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, 2024 के लिए एचआरएमएस अवार्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई-स्व नामांकन भेजने के लिए दिशानिर्देश अनुलग्नक-। के रूप में संलग्न हैं। प्रस्तुति समारोह का कार्यक्रम, स्थल और अन्य विशिष्टताएं के बारे में विवरण अलग से सूचित किया जाएगा।
- 4. इस पत्र की प्राप्ति की पावती ई-मेल के माध्यम से दी जाए और अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए रेलवे के समन्वय अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष (पीएंडटी और सीयूजी) और ई-मेल आईडी की सूचना अवर सचिव/ओएंडएम, रेलवे बोर्ड को neenakandpal.rb@gov.in को दी जाए।
- 5. एचआरएमएस अवार्ड मॉडयूल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को ई-स्व नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 14.09.2024 है।
- 6. अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2024 की अधिसूचना के व्यापक प्रचार के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकियों/अन्य इकाइयों के अंतर्गत सभी कार्यालयों को परिपत्रित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी रेल कर्मचारियों तक पहुंचे।
- 7. एचआरएमएस अवार्ड मॉडयूल को इंटरनेट लिंक (https://hrms.indianrail.gov.in/HRMS/login). के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

संलग्नकः-2

अरुगा नायर (अरुगा नायर) सचिव रेलवे बोर्ड दूरभाष सं. 011-23385227 ईमेल आईडीः secyrb@rb.railnet.gov.in कमरा नं. 227, दवितीय तल, रेलवे बोर्ड। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (एवीआरएसपी) - 2024 (रेलवे/उत्पादन इकाइयों एवं अन्य इकाइयों के लिए) के लिए एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल ई स्व-नामांकन भेजे जाने हेतु दिशानिर्देश

1. कोटियां, जिनके अंतर्गत नामांकन भेजे जाने हैं:-

क्र.सं.	कोटि						
1	नए नवोन्मेष/प्रक्रियाएं/पद्धतियां, जो व्यय में किफायत, उत्पादन में सुधार, आयात प्रतिस्थापन आदि में						
	परिणत हुए।						
П	अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना सराहनीय कार्य जो रेलवे में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में परिणत						
	ह्ए।						
Ш	आय में वृद्धि करने और बिना टिकट यात्रा, चोरी आदि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए किए गए						
	विशेष प्रयास।						
IV	परिचालन, सुरक्षा एवं संरक्षा को बेहतर बनाने, परिसंपत्तियों के बेहतर अनुरक्षण और उपयोग के लिए किए						
	गए अनुकरणीय कार्य						
V	परियोजनाओं आदि को कीर्तिमान समय में पूरा करना						
VI	खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में परिणत हुए						
VII	किसी अन्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन						

## नोट: अधिकारी/कर्मचारी का नामांकन उपरोक्त 7 में से किसी भी एक कोटि में ही सीमित होगा।

- 2. अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार के लिए ई स्व-नामांकन एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि नाम, क्षेत्र, इकाई तथा पदनाम संबंधी सूचना हिंदी में भी शुद्धता के साथ उपलब्ध करवाई जाए। फॉर्म में कर्मचारी के वर्तमान पद तथा संभाले गए अधिकतम पिछले 5 पदों संबंधी विवरण होना चाहिए। आवेदक द्वारा सुसंगत स्थान में अपने नियंत्रण अधिकारी का विवरण (एचआरएमएस आईडी/नाम) भी अवश्य भरा जाए। आवेदक द्वारा अपनी सिक्रिय ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से भरी जाए।
- 3. आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन भरने से पहले एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल डैशबोर्ड पर उपलब्ध **उपयोगकर्ता मैन्अल** पढ़ लें।
- 4. एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के अंदर ई-फॉर्म के निर्धारित खंड में जिस श्रेणी विशेष के अंतर्गत नामांकन किया जा रहा है उस से संबंधित 1000 शब्दों तक की प्रशस्ति अथवा आलेख अवश्य भरा जाए। नामांकन दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक किए गए कार्य के लिए किया जाना है। जिस श्रेणी के संबंध में नामांकन किया जा रहा है, प्रशस्ति में उससे संबंधित विशिष्ट बिंदु उल्लिखित होने चाहिएं।
- 5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने वास्तव में विशिष्ट कार्य किए हैं केवल वे ही एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन प्रस्तुत करें। कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भी एचआरएमएस अवॉर्ड मॉड्यूल के माध्यम से ई स्व-नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने अनुकरणीय कार्य किया हो तािक पुरस्कार के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त करने वाले वास्तविक योग्य कर्मचारियों का ही चयन किया जा सके।
- 6. समूह 'ग' तथा भूतपूर्व समूह 'घ' श्रेणी के रेल कर्मचारी सामन्य रूप से ई स्व-नामांकन भर सकते हैं। आपवादिक मामलों में, अनुकरणीय कार्य करने वाले किनष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/चयन ग्रेड तक के अधिकारी भी ई स्व-नामांकन भर सकते हैं। बहरहाल, चयन ग्रेड से ऊपर के अधिकारी ई स्व-नामांकन नहीं भर सकते क्योंकि योजना में चयन ग्रेड से ऊपर के अधिकारी शामिल नहीं हैं। हालांकि, अकार्यात्मक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में चयन ग्रेड अधिकारी भी पात्र हैं बशर्त वे 16 अप्रैल 2024 तक चयन ग्रेड में रहे हों।

- 7. समूह पुरस्कार के लिए कोई सिफारिश नहीं भेजी जानी चाहिए क्योंकि मुख्य समारोह/अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह के दौरान समूह पुरस्कारों पर न तो विचार किया जाता है और न ही प्रदान किए जाते हैं।
- 8. अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार एक सेवाकालीन उपलब्धि पुरस्कार है, इसलिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने विगत में एक बार पुरस्कार (रेल सप्ताह राष्ट्रीय पुरस्कार/राष्ट्रीय रेल पुरस्कार/अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार) प्राप्त किया है, उन्हें सामान्यतः पुनःई-स्व-नामांकन नहीं करना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां उनके द्वारा कुछ अनुकरणीय सराहनीय प्रदर्शन किया गया हो। कर्मचारी द्वारा ई-फार्म में एक वचनबध (अंडरटेकिंग) आवश्य भरा जानी चाहिए, जिसमें यह पुष्टि की जाए कि क्या उन्हें पूर्व में रेल मंत्री पुरस्कार, राष्ट्रीय रेल पुरस्कार या अति विशिष्ट राष्ट्रीय रेल सेवा पुरस्कार के लिए चुना गया था अथवा नहीं।
- 9. रेलवे से अग्रेषित पत्र में अनुलग्नक-II के अनुसार एक सारांश पत्र संलग्न किया जाए जिसमें नाम, पदनाम, विभाग, पे लेवल, मोबाइल नं. और ईमेल-आईडी का अनिवार्य रूप से संलग्न हो और स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक एवं अपील नियम और/अथवा सतर्कता मामला (मामले) लंबित नहीं हैं। प्रत्येक नामित व्यक्ति के लिए विवरण अलग से दर्शाया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि बोर्ड को नामांकन भेजने की तारीख और पुरस्कार की तिथि के बीच की अविध में नामित व्यक्ति की सतर्कता/अनुशासनिक एवं अपील नियम की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना भी इस कार्यालय को दी जाए। यदि इस अविध के दौरान यदि कोई रपट प्राप्त नहीं होती है तो माना जाएगा कि पूर्व में दर्शाई गई स्थिति वैसी ही है।
- 10. कर्मचारी द्वारा एचआरएमएस पर ई-स्व नामांकन भरते समय संक्षिप्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए।
- 11. संपर्क विवरण अर्थात संबंधित अधिकारी (नामित व्यक्ति) और उसका/उसकी तत्काल उच्चतर अधिकारी का मोबाइल नं. अनुलग्नक-॥ में अनिवार्य रूप से दिया हो ताकि कर्मचारी से पुरस्कार के लिए नाम चयनित होने पर अथवा पुरस्कार से संबंधित अपेक्षित सूचना के मामले में संपर्क/सूचित किया जा सके।
- 12. पत्र में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/अन्य इकाइयों से निर्धारित कोटे की सीमा में नामांकन की अधिकतम संख्या अग्रेषित की जाए।
- 13. **क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों/ अन्य इकाइयों द्वारा ई-स्व नामांकन अग्रेषित** करने के बारे में विवरण एचआरएमएस अवार्ड मॉडयूल के माध्यम से यूजर मेनुअल (एचआरएमएस अवार्ड मॉडयूल डेशबोर्ड पर) उपलब्ध कराया गया है। केवल ई-स्व नामांकन ही बोर्ड कार्यालय को भेजे जाएं, **नामांकन की हार्ड कॉपी न भेजी जाए।**
- 14. यदि एचआरएमएस पोर्टल पर कर्मचारी का नाम, फोटो, क्षेत्र, पदनाम आदि जैसे कोई विवरण सही/अद्यतन नहीं हैं, तो कर्मचारी को कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) मॉड्यूल के माध्यम से अनुरोध करके अपने कर्मचारी मास्टर में इसे सही करने की आवश्यकता है।
- 15. अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार और रेल सेवा पुरस्कार के लिए यूजर्स और एडिमन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश रेलवे बोर्ड के **दिनांक 31.07.2024 के पत्र संख्या पीसी-VII/2024/एचआरएमएस/7** द्वारा जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*

16. एचआरएमएस अवार्ड मॉडयूल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को ई-स्व नामांकन भेजने की अंतिम तारीख 14.09.2024 है।

	अति विशि	ष्ट रेल सेवा पुरर	म्कार (एवीआरएसपी),	2024 क	लिए नामांकन	सूची
क्षेत्रीय	रेलवे/उत्पादन इकाई	हं/इकाई का नाम				-
			अथवा			
रेलवे	बोर्ड में निदेशालय/इव	काई का नाम				
नामां व	मनों की कुल संख्याः					
नामां	केत व्यकित का विव	रणः				
क्रसं.	नाम	पदनाम/विभाग	नामांकित श्रेणी	पे	जन्म तिथि	मोबाइल नं
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)		(अनुलग्नक-1 की	लेवल		और ई मेल-
			मद संख्या 1 के			(उम्मीदवार
			अनुसार)जिसके			और उससे
			लिए नामित किया			आसन्न
			गया है।			वरिष्ठ)
	न अधिकारी के बिक	रश सोर्ट अजना	। मन एवं अपील नियम	भीर मन	र्कना मामना त	वंतिन नहीं है।
उपयुक	त आधकारा क ।परः	व्य काइ अनुशास	ान एवं अपाल ानयन	जार सत	किता नानला (	नावत वहा हा
				अनुमोद	न प्राधिकारी	के हस्ताक्षर
				नाम		

पदनाम्